परिशिष्ट के प्रपत्र 3 तथा अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4 अनुसार है। (ग) निर्माण एजेन्सी दोषी है। नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (घ) विगत 5 वर्षों में अनियमितताओं से संबंधित शिकायत प्राप्त न होने से कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

माडल स्कूल जावरा के स्टाफ हेतु शा. आवासों का निर्माण

22. (*क्र. 118) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या माडल स्कूल जावरा के व्याख्याताओं एवं स्टॉफ अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु स्टॉफ क्वार्टर निर्माण किया जाना स्वीकृत होकर कार्य प्रारम्भ हुआ था? **(ख)** यदि हाँ, तो स्टॉफ क्वार्टर के निर्माण की भूमि का चयन किया जाकर नींव से लेकर छत स्तर तक का कार्य किया गया है? **(ग)** यदि हाँ, तो क्या छत स्तर तक का कार्य स्टाफ क्वार्टर के अनेक आवासों का किया जाकर कार्य अपूर्ण है? **(घ)** यदि हाँ, तो विगत कई वर्षों से अपूर्ण एवं बंद पड़े स्टॉफ क्वार्टर जो कि अब रख रखाव के अभाव में जीर्ण-शीर्ण होने लगे हैं, उनका पुनः निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जाकर कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा, ताकि शासन/विभाग को होने वाली हानि एवं व्याख्याताओं, स्टाफ अधिकारियों-कर्मचारियों को होने वाली असुविधा से बचा जा सके?

स्कूल शिक्षा मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से **(ग)** जी हाँ। **(घ)** शेष कार्य रिस्क एवं कॉस्ट पर पूर्ण कराये जाने हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने विषयक संभागीय परियोजना यंत्री लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. उज्जैन म.प्र. को पत्र क्रमांक 1154/भवन/सिविल/2013 दिनांक 01.10.13 एवं पत्र क्र. 1152/भवन/सिविल/2013 भोपाल दिनांक 01.10.13 प्रेषित किये गये हैं एवं कार्यालयीन पत्र क्र. 2014/भवन/15 भोपाल दिनांक 06.02.15 एवं पत्र क्र. 203/भवन/सिविल/16 भोपाल, दिनांक 24.06.16 द्वारा परियोजना संचालक, (पी.आई.यू) लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल को आवास गृहों का तकनीकी परीक्षण कर स्ट्रेंथ के संबंध में तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु लिखा गया है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अनियमित नियुक्ति

23. (*क्र. 670) डॉ. योगेन्द्र निर्मल : क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट जिले के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ श्री कमल सिंह पटले की नियुक्ति किस दिनांक को स्वीपर के पद पर की गई थी? नियुक्ति के समय शैक्षणिक अर्हता क्या थी, किस योग्यता के आधार पर पदांकन किया गया था? क्या शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने के लिए विभागीय अनुमति ली गयी थी? यदि हाँ, तो कब एवं किस दिनांक को? **(ख)** क्या पदांकन के समय उक्त व्यक्ति के शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के अनुसार आयु 16 वर्ष की थी? क्या 16 वर्ष की आयु में शासकीय सेवा में पदांकन के नियम हैं? यदि हाँ, तो अन्य विभागों में 16 वर्ष की आयु में पदांकन क्यों नहीं किया जा रहा है? यदि नहीं,

उप संचालक स्वास्थ्य सेवायें
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

तो नियम विरूद्‌ध पदांकन करने वाले अधिकारी पर क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** क्या वर्ष 2005 में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट द्‌वारा जानकारी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदोन्नत किया गया है? किस नियम के तहत्? नियम बतावें एवं पदोन्नति के समय जिले की रोस्टर स्थिति क्या थी? द्‌वितीय पदोन्नति 2002 में कितने सहायक ग्रेड 3 कर्मचारियों की पदोन्नति सहायक ग्रेड 2 के पद पर की गई? सन 2002 से प्रश्न दिनांक तक संक्षिप्त में जानकारी देवें? **(घ)** क्या पदोन्नति उपरांत शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्रों का सत्यापन मा.शि.म. भोपाल द्‌वारा किया गया? यदि हाँ, तो कब एवं किस दिनांक को? यदि नहीं, तो क्यों? कारण बतावें?

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री रुस्तम सिंह) : (क) श्री कमल सिंह पटले की प्रथम नियुक्ति आदेश क्रमांक 261 दिनांक 31.05.1983 के द्‌वारा की गई थी। नियुक्ति के समय श्री पटले की शैक्षणिक योग्यता 08 वीं उत्तीर्ण के आधार पर पदांकन किया गया था। जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हाँ। जी नहीं। इस विभाग से संबंधित नहीं। पदांकन करने वाले अधिकारी की मृत्यु हो चुकी है। अतः कार्यवाही करना संभव नहीं है। **(ग)** जी हाँ। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तृतीय श्रेणी लिपिकवर्गीय सेवा भर्ती नियम, 1989 के तहत्। पदोन्नति के समय रोस्टर अनुसार सहायक ग्रेड-3 का 01 पद अनुसूचित जाति तथा 03 पद अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित थे, किन्तु रिक्त नहीं थे। वर्ष 2002 में सहायक ग्रेड-3 से सहायक ग्रेड-2 के पद पर पदोन्नति नहीं हुई। इसके पश्चात् कुल 09 कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 से सहायक ग्रेड-2 के पद पर पदोन्नत किया गया है। **(घ)** जी नहीं। मध्य प्रदेश शासन पदोन्नति नियम अंतर्गत शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराये जाने संबंधी प्रावधान नहीं है।

उप संचालक स्वास्थ्य सेवायें संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्य प्रदेश

<u>स्काउट गाईड एवं रेडक्रास की राशि का दुरूपयोग</u>

24. (*क्र. 322) श्री यादवेन्द्र सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 30/03/2016 के अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्रमांक 6061) के संदर्भ में क्या श्रीमती ऊषा पमनानी को दिए गए अग्रिम की वसूली/समायोजन समय से न कराने तथा रेडक्रास के पैसे से कलेक्ट्रेट की सफाई में हजारों रूपये नियम विरूद्‌ध खर्च करने तथा शिकायतकर्ता को बिना सुने क्या जाँच दल ने प्रतिवेदन दिया है? यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करावें। यदि जाँच दल ने जाँच नहीं की तो अभी तक जाँच न करने पर जाँच दल के विरूद्‌ध क्या कार्यवाही की जावेगी। **(ख)** दिनांक 01.01.2014 से प्रश्न दिनांक तक किस-किस की जिला शिक्षा विभाग/कलेक्टर कटनी को शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतवार, कार्यवाहीवार विवरण दें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जी नहीं। कलेक्टर, कटनी द्‌वारा जाँच कराई जा रही है। जाँच प्रतिवेदन अद्‌यतन अप्राप्त है। जाँच प्रचलन में होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** दिनांक 17/02/2016 को शिकायतकर्ता